न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 213/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/521**

दायर दिनांक :– 23.12.2024 **निर्णय दिनांक :– 13.09.2025**

1. रविन्द्रपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. कृष्णपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. वादीगण
2 श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 244/1 रकबा 56.9554 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261/4 रकबा 17.4824 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 261/3 रकबा 17.4824 हैक्टेयर तथा ग्राम भोमजी का गांव पटवार हल्का कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1174/805 रकबा 16.0012 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता उदयसिंह पुत्र पदमसिंह के नाम से रजास्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रतिवादी संख्या 1 उनके भाईयों को जरिये नामान्तरकरण से प्राप्त हुई। उक्त वादगस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का अपने अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में वादीगण बारह ही मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के ही नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संखय 1 का जन्म से हक व हिस्सा है और

13/9/25

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब में कथन किया कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दर्ज कर दिया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड के खाता संख्या 226, 498 की जमाबंदी के खसरा नम्बर 261/3 रकबा 17.4824 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 244/1 रकबा 56.9554 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261/4 रकबा 17.4824 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा तथा ग्राम भोमजी का गांव के खाता संख्या 274 की जमाबंदी के खसरा नम्बर 1174/805 रकबा 16.0012 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी भूमि हमारी जद्दी जायदाज है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है, इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाये। वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवदेन किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने भी कथन किया कि वादीगण को माफिक इस्तदुआ खातेदार घोषित किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 244/1 रकबा 56.9554 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261/4 रकबा 17.4824 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 261/3 रकबा 17.4824 हैक्टेयर तथा ग्राम भोमजी का गांव पटवार हल्का कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1174/805 रकबा 16.0012 हैक्टेयर भूमि वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति होने से वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने इकबालिया जवबा पेश कर घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

13/9/18

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 244/1 रकबा 56.9554 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261/4 रकबा 17.4824 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 261/3 रकबा 17.4824 हैक्टेयर तथा ग्राम भोमजी का गांव पटवार हल्का कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1174/805 रकबा 16.0012 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/9/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. रविन्द्रपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. कृष्णपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या :– 213/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी, विरेन्द्रसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 244/1 रकबा 56.9554 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261/4 रंकबा 17.4824 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 261/3 रकबा 17.4824 हैक्टेयर तथा ग्राम भोमजी का गांव पटवार हल्का कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1174/805 रकबा 16.0012 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.09.2025 को जारी की गई।

13/9/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।